Title: Introduction of the Cine-Workers Welfare (Amendment) Bill, 2000.

1259 hours

I

श्रम मंत्री (डॉ.सत्यनारायण जटिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले ि वधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Cine-workers Welfare Fund Act, 1981."

The motion was adopted.

डॉ. सत्यनारायण जटियाः अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India Extraordinary Part-II-Section 2, dated.13.12.2000